एन0आई0सी0 द्वारा राजस्व वसूली की ऑनलाईन फाइलिंग से सम्बन्धित वेब एप्लीकेशन एवं धारा 154 जेड0ए0 अन्तर्गत तैयार की जा रही वेब एप्लीकेशन के प्रदर्शन (Demo) के सम्बन्ध में दिनांक 13–04–2017 को आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड, देहरादून की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी बैठक का कार्यवृत्त :–

उपस्थिति :– संलग्नानुसार।

----0000----

सर्वप्रथम आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् द्वारा बैठक में प्रतिभाग हेतु उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों का स्वागत किया गया। तदोपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ किये जाने के निर्देश दिये गये। प्रभारी उप राजस्व आयुक्त (भू0व्य0), राजस्व परिषद् द्वारा दिनांक 13–02–2017 को सम्पन्न हुयी प्रदर्शन (Demo) बैठक में राजस्व वसूली की ऑनलाईन फाईलिंग एवं धारा 143 जेड0ए0 अन्तर्गत होने वाले कार्यों को ऑनलाईन किये जाने हेतु एन0आई0सी0 द्वारा तैयार की जा रही वेब एप्लीकेशन में दिये गये सुझावों एवं निर्देशों के सम्बन्ध में चर्चा की गयी एवं वर्णित एप्लीकेशन के अतिरिक्त अन्य कार्यों में एन0आई0सी0 द्वारा किये गये कार्यों/संशोधनों के सम्बन्ध में आयुक्त एवं सचिव महोदय को अवगत कराया गया।

2. दिनांक 13–02–2017 को सम्पन्न हुयी वेब एप्लीकेशन्स की प्रदर्शन सम्बन्धी बैठक के सम्बन्ध में तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 द्वारा देवभूमि सॉफ्टवेयर में डाटा अपलोड किये जाने एवं ऑनलाईन भूलेख सॉफ्टवेयर के सम्बन्ध में अपने स्तर से कृत कार्यवाही से आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् को अवगत कराया गया। वर्णित प्रकरण में चर्चा उपरान्त एन0आई0सी0 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के सम्बन्ध में देवभूमि सॉफ्टवेयर का सिक्योरिटी ऑडिट एवं ऑनलाईन भूलेख के कियान्वयन हेतु प्रोग्रामरों की आबद्धता के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण/आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये ताकि तद्नुसार प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

**(कार्यवाही–तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0/प्रभारी उप राजस्व आयुक्त, राजस्व परिषद्)**

3. बैठक में राजस्व वसूली की ऑनलाईन फाइलिंग हेतु एन0आई0सी0 द्वारा तैयार की जा रही वेब एप्लीकेशन में सर्वप्रथम गत बैठक में दिये गये सुझावों/निर्देशों को वेब एप्लीकेशन में समायोजित किये जाने का बिन्दुवार अनुश्रवण किया गया। एन0आई0सी0 की टीम द्वारा एप्लीकेशन में पूर्व में दिये गये निर्देशों को बैठक में प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शन का अवलोकन करने उपरान्त बैठक में परिचर्चा के पश्चात आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् द्वारा एप्लीकेशन में आवश्यक सुधार सम्बन्धी निम्नानुसार निर्देश दिये गये :–

i- एप्लीकेशन में गत बैठक में दिये गये सुझावों/निर्देशों को समायोजित किये जाने की समस्त रिपोर्ट का प्रिन्ट आउट राजस्व परिषद् को उपलब्ध करायें जायं, ताकि तद्नुसार रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट किया जा सके कि ऑनलाईन कार्यप्रणाली में कोई त्रुटि न रह जाय।

ii- एप्लीकेशन में बकायेदार की के0वाई0सी0 (KYC) के अतिरिक्त बकाये से सम्बन्धित प्रॉपर्टी की सम्पूर्ण जानकारी भी दर्ज किये जाने की व्यवस्था किये जाने की अपेक्षा की गयी।

iii- एप्लीकेशन में नई आर0सी0 (RC) जनरेट होने पर जनपद/तहसील मुख्यालय स्तर पर मुख्य राजस्व लेखाकार (CRA)/वासिल बाकी नवीस (WBN)/अमीन स्तर पर नोटिफिकेशन प्रदर्शित करने की व्यवस्था भी समायोजित की जानी आवश्यक है ताकि किसी भी आर0सी0 (RC) के जनरेट होने पर उसे अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु ससमय अग्रसारित किया जा सके।

iv- सभी यूजर्स को एस0एम0एस0 (SMS) से भी सूचित किये जाने की व्यवस्था एवं बकायेदार के मोबाईल नम्बर को भी एप्लीकेशन में जोड़े जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जाय।

v- आर0सी0 (RC) को दूसरे जनपद को प्रेषित किये जाने की व्यवस्था को भी सम्मिलित किये जाने की अपेक्षा की गयी।

vi- एप्लीकेशन में अमीन के नाम के साथ अमीन सर्कल/क्षेत्र तथा नायब तहसीदार सर्कल/क्षेत्र को भी जोड़े जाने की व्यवस्था किये जाने की अपेक्षा की गयी।

vii- वसूली फार्म को भी तैयार किया जाय।

viii- प्रत्येक आर0सी0 (RC) में वसूली प्रभार को पृथक से एप्लीकेशन में जोड़े जाने की अपेक्षा की गयी।

ix- वसूली को स्थगित करने के कारणों का उल्लेख करते हुये वसूली स्थगित करने वाले स्तर में अधिकृत के स्थान पर सक्षम अंकित जाना उचित होगा।

उपरोक्त बिन्दुओं को एप्लीकेशन में समायोजित करने के सम्बन्ध में तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी से अपेक्षा की गयी तथा यह भी अवगत कराया गया कि यदि विभाग स्तर से किसी प्रकार के इनपुट/सहायता की आवश्यकता है तो प्रभारी उप राजस्व आयुक्त (भू0व्य0) से सम्पर्क स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही सम्पादित की जाय।

**(कार्यवाही–तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0/प्रभारी उप राजस्व आयुक्त, राजस्व परिषद्)**

4. धारा 154 जेड0ए0 के अन्तर्गत तैयार की जा रही वेब एप्लीकेशन का अवलोकन किया गया एवं सम्यक् चर्चा उपरान्त आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् द्वारा अवगत कराया गया कि अधिनियम के अन्तर्गत धारा 154 जेड0ए0 में कृषि, बागवानी, संस्थान, उद्योग एवं व्यावसायिक आदि के उपयोग हेतु आवेदनकर्त्ता को अनुमति प्रदान की जाती है। इस सम्बन्ध में एप्लीकेशन में निम्नवत सुझावों/निर्देशों को समायोजित किये जाने की अपेक्षा की गयी:–

i- आवेदनकर्त्ता को अपने आवेदन के साथ आवेदित भूमि/प्रापर्टी का फोटो, खतौनी, सजरा, अपना के0वाई0सी0 (KYC), नजरी नक्शा प्रस्तुत/अपलोड करने की व्यवस्था की जाय।

ii- आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त आवेदन को स्वीकृत करने का अधिकार मात्र शासन स्तर पर किया जाना है, अन्य स्तरों पर मात्र आख्या/रिपोर्ट दर्ज करने का प्राविधान किया जाना है।

iii- राजस्व उप निरीक्षक (लेखपाल/पटवारी)/राजस्व निरीक्षक/नायब तहसीलदार/तहसीलदार/असिस्टेंट कलेक्टर/कलेक्टर स्तर पर आवेदन को स्वीकृत/अस्वीकृत के स्थान पर मात्र आख्या/रिपोर्ट दर्ज/अपलोड करने का प्राविधान किया जाय।

iv- राजस्व उप निरीक्षक (लेखपाल/पटवारी)/राजस्व निरीक्षक के स्तर पर प्राप्त आवेदन में उसे अपनी आख्या/टिप्पणी दर्ज करने का प्राविधान करते हुये आवेदित प्रापर्टी का फोटो, क्रेता एवं विक्रेता का फोटो, खतौनी, खसरा, सजरा, नजरी नक्शा को आख्या के साथ दर्ज/अपलोड करने का प्राविधान किया जाय।

v- विक्रेता का विवरण अपलोड करने का प्राविधान किया जाए।

**(कार्यवाही–तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0)**

5. धारा 143 जेड0ए0 के अन्तर्गत तैयार की जा रही एप्लीकेशन का पुनः अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरान्त आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् द्वारा निम्नवत बिन्दुओं को एप्लीकेशन में समायोजित करने की अपेक्षा की गयी :–

i- आवेदनकर्त्ता द्वारा अपना आवेदन प्रस्तुत करने उपरान्त आवेदन पर की गयी कार्यवाही के क्रम में स्वीकृत होने की दशा में आदेश की प्रति तहसीलदार एवं सब रजिस्ट्रार कार्यालय (अन्तर्गत धारा 145 यू0पी0जेड0ए0एल0आर0अधि0) को प्रेषित किये जाने का भी प्राविधान किया जाय, ताकि तद्नुसार भू–अभिलेखों में आदेश का अंकन हो सके।

ii- विभाग में आवेदन प्राप्त होने उपरान्त आवेदन को स्वीकृत करने का अधिकार मात्र अस्टिटेन्ट कलेक्टर/कलेक्टर अथवा उससे उच्च स्तर पर किया जाना है, अन्य स्तरों पर मात्र आख्या/रिपोर्ट दर्ज करने का प्राविधान किया जाना है।

iii- राजस्व उप निरीक्षक (लेखपाल / पटवारी) / राजस्व निरीक्षक / नायब तहसीलदार / तहसीलदार स्तर पर आवेदन को स्वीकृत / अस्वीकृत के स्थान पर मात्र आख्या / रिपोर्ट दर्ज / अपलोड करने का प्राविधान किया जाय।

iv- राजस्व उप निरीक्षक (लेखपाल / पटवारी) / राजस्व निरीक्षक के स्तर पर प्राप्त आवेदन में उसे अपनी आख्या / टिप्पणी दर्ज करने का प्राविधान करते हुये आवेदित प्रापर्टी का फोटो, खतौनी, खसरा, सजरा, नजरी नक्शा को आख्या के साथ दर्ज / अपलोड करने का प्राविधान किया जाय।

v- वर्णित एप्लीकेशन के पॉयलट रूप में सफलतापूर्वक संचालन उपरान्त इस सम्बन्ध में शासनादेश जारी करवाये जाने की कार्यवाही सम्पादित की जाय।

**(कार्यवाही–तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 / प्रभारी उप राजस्व आयुक्त, राजस्व परिषद्)**

6. बैठक में चर्चा उपरान्त आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् द्वारा निर्देश दिये गये कि वर्णित वेब एप्लीकेशनों के तैयार होने उपरान्त सभी एप्लीकेशनों को जनपद देहरादून में पॉयलट रूप में संचालित किया जायेगा, और सफलतापूर्वक संचालन के उपरान्त जिलाधिकारी देहरादून ही इन एप्लीकेशनों का User Acceptance Test देंगे, ताकि तद्नुसार वर्णित एप्लीकेशनों को सम्पूर्ण प्रदेश में क्रियान्वित किया जा सके।

**(कार्यवाही–जिलाधिकारी, देहरादून / प्रभारी उप राजस्व आयुक्त, राजस्व परिषद्)**

अन्त में आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् उत्तराखण्ड द्वारा बैठक में प्रतिभागी जनपदों के अधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक का विसर्जन किया गया।

(सुरेन्द्र नारायण पाण्डे)
आयुक्त एवं सचिव,
19.04.2017
राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

## राजस्व परिषद् उत्तराखण्ड

संख्याः–212 / रा0प0 / 2016–17,
देहरादून; दिनांकः 20 अप्रैल, 2017

**प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–**

1. प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन, औद्योगिक विकास विभाग, देहरादून।
2. सचिव, उत्तराखण्ड शासन, राजस्व विभाग, देहरादून।
3. आयुक्त, कुमायूँ मण्डल नैनीताल / गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. जिलाधिकारी, देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. स्टॉफ ऑफिसर / प्रभारी उप राजस्व आयुक्त (भू0व्य0) राजस्व परिषद् उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0, राजस्व परिषद् उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष, राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड, देहरादून को मा0 अध्यक्ष के अवलोकनार्थ प्रेषित।
9. गार्ड फाईल / कार्यालय प्रति।

आज्ञा से,

(सोनिया पन्त)
प्रभारी उप राजस्व आयुक्त (भू0व्य0)